University or recognised research institutions,-

- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) officer with five years' service rendered after appointment thereto in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or equivalent on a regular basis in parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience,-
- (i) Essential: Masters Degree in Economics or Commerce or Mathematic Statistics or Operations Research from a recognised University or Institute.
- (ii) Five years experience in compilation, presentation and analysis of statistical data in a Government Office or public sector undertakings or autonomous organisation or University or statutory body.
- (c) Desirable:
- (i) Degree or Diploma in Disaster Management from a recognised University or Institute; and
- (ii) At least one year experience in handling relief operations.
- **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2.-**The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3.-**The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. A-12018/01/2022-Ad.V] VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 2024

सा.का.िन. 59.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (विरिष्ठ वैयक्तिक सहायक) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई

दिल्ली, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति –जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निजी सचिव	04*(2024) [*] कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवी।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900- 142400/- रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : जिन्होने आशुलिपिक ग्रेड-। वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रू0), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
		िटप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इसमें से जो भी कम हो,से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रितिनयुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन आशुलिपिक के पद को धारित करने वाले अधिकारी,- क) i) जिन्होने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण किया हो; या ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्टिक्स में वेतन स्तर -6 (35400-112400) या समतुल्य में पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास समुचित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। टिप्पणी 1 –पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त कर की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ
	लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।
निम्नलिखित होंगे:	

अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष;
 उप निदेशक(चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय– सदस्य;
 उप निदेशक, प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य।

[फा. सं. ए.11018/64/2021-एमएच.II]

डॉ. पुलकेश कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th May, 2024

- **G.S.R.** 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi (Senior P. A.) Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Private Secretary (Group 'B' Post), Recruitment Rules, 2024.
 - (2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Private Secretary.	*4 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.		Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(9)	(10) By promotion failing which by	(11)
Not applicable	By promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographer Grade-I in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant field as prescribed by the competent authority.
		Note Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation: Officers holding the post of Stenographer under the Central Government or State Government or Union territory Administrations:
		(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112100) or equivalent in the parent cadre or department;
		(b) possessing appropriate educational qualification and experience.
		Note 1 The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
		Note 2 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
		Note 3 The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental promotion Committee (for considering	Consultation with the Union Public Service
promotion):-	Commission is not necessary.
1.Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman;	

2. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General	al -Member;
Of Health Services	-Member;
3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital	-Member.

[F. No. A-11018/64/2021-MH-II] Dr. PULKESH KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 2024

सा.का.नि. 60.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता (वर्ग III एवं वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता में प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता, प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता -** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।